

19-5-22 आज यह पेश हुई। वादी व
वादी के वकील अनुपादेयत। पत्रावली में
बार-2 अवाज दिलवाई गई। लेकिन कोई भी
उप० नहीं आये। न ही कोई सूचना दी जा
हू। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी वाद
चलाना ही नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद
अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया
जाता है। पत्रा० फैसल शुमार दोकर मम्बर
से कम हो। वाद तकमील दारिखल वफतर हो।

५

द्वयसुन्द अधिकांश
मैसूर (२०२२) कल